सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 06/2017 अपील
दायर दिनांक – 23/02/2017
निर्णय दिनांक – 16/01/2018

1. श्री मुस्मात् मोतिया पुत्री श्री भेरुलाल ब्राहम्ण, निवासी भट्टों का बामणिया तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
2. श्री मुस्मात् रामकन्या पुत्री श्री भेरुलाल ब्राहम्ण, निवासी भट्टों का बामणिया तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
3. मुस्मत् गीता पुत्री श्री भेरुलाल ब्राहम्ण, निवासी भट्टों का बामणिया तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
4. मुस्मत् समू बाई पुत्री श्री भेरुलाल ब्राहम्ण, निवासी भट्टों का बामणिया तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री मुस्मत् हंगामी पत्नी श्री रामलाल ब्राहम्ण, निवासी भट्टों का बामणिया तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
2. श्री मुस्मत् गीता पत्नी श्री रामलाल ब्राहम्ण, निवासी भट्टों का बामणिया तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

––रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थितः–

1. श्री तारेश्वर मोड़ –– अधिवक्ता अपीलान्ट्स
2. श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल –– अधिवक्ता रेस्पों. संख्या 1 व 2.

यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार कपासन नामान्मतरकरण संख्या 845 दिनांक 13.06.2016.

निर्णय

दिनांक 16.01.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–75 के अन्तर्गत तहसीलदार कपासन द्वारा स्वीकृत नामान्मतरकरण संख्या 845 दिनांक 13.06.2016.के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक वाद अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पों0 के विरुद्ध उपखण्ड़ अधिकारी कपासन के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा था। उपरोक्त वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.टि.एक्ट मे तहत पेश कर रखा था। उपरोक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपीलान्ट्स के पक्ष में निर्णित किया गया। फिर भी रेस्पों. संख्या–3 तहसीलदार कपासन ने अन्य रेस्पों. संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्थगन होते हुए भी नामान्तरकरण स. 845 दिनांक 13.06.2016 को अवैध रुप से रेस्पों..संख्या 1 व 2 के पक्ष में निस्तारित कर दिया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख मंगाया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 09.01.2018 को सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 10.11.2016 को प्रथम बार अपीलार्थी को हुई। प्रतिलिपि 11.11.2016 को प्राप्त हुई और प्रतिलिपि प्राप्त होते ही बिना किसी विलंब के अपील प्रस्तुत कर दी गई। अतः मयाद में शुमार करने का आदेश फरमावें। आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में रामलाल पिता श्री भेरुलाल ब्राहम्ण की मृत्यु के पश्चात् विरासत से नामान्तरकरण निस्तारित किये जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी पटवारी, तहसीलदार को यह जांच करनी चाहिये थी कि मृतक के खातेदारी की कृषि आराजीयात पर कोई स्थगन है अथवा नहीं और रेस्पों. संख्याा 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरकरण निस्तारित किया गया, वे स्वयं

उपखण्ड़ अधिकारी कपासन के यहां लम्बित वाद पत्र में सक्षम पक्षकार के रुप में संयोजित थी ऐसे विरासत नामान्तरकरण से पूर्व सक्षम प्राधिकारी ने बिना किसी जांच के ही रेस्पों. संख्या 1 व 2 के नाम नामन्तरकरण अवैध रुप से निस्तारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। रेस्पों. संख्या –1 द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2016 केम्प – अटल सेवा केन्द्र, ग्रम पंचायत बामनिया में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तथ्यों को छिपाते हुए विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करा लिया जो अवैध होकर निरस्त योग्य है। अन्त में अपील अपीलान्फट्स स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार कपासन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

विद्वान वकील रेस्पों. ने बहस में बताया कि नामान्तरकरण किसके द्वारा पारित किया है एवं किस दिनांक को हुआ है एवं इस नामान्तरकरण की जानकारी किस तरह और किस जरिये हुई है एवं कितने समय की देरी का कन्डोन कराना चाहा गया है, यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि कानून के अनुसार मयाद कानून के धारा 5 के आवेदन में मयाद कन्डोन करने के लिए उचित एवं उपयुक्त कारण प्रकट करते हुए और प्रत्येक दिन की अवधि का उल्लेख करना आवश्यक है। इस प्रकार प्रस्तुत अपील मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्त योग्य हैं। यह भी कथन किया कि अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायायल में पक्षकार नहीं थें इस कारण अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 के साथ अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने से भी अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह तथ्य पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है। रेस्पों. सं. 1 व 2 ने मेरिट पर बहस नहीं कर मात्र धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पर बहस के दौरान बताया कि मयाद कन्डोन करने के लिए उचित एवं उपयुक्त कारण प्रकट करते हुए प्रत्येक दिन की अवधि का उल्लेख करना आवश्यक है, अपीलान्ट द्वारा कोई स्पष्ट कारण नही बताये जाने से अपील मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्त योग्य होने का कथन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम में बताये तथ्यों के आधार पर अपील अन्दर अवधि में शुमार की जाती है तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना न्यायालय उचित समझती है।

विवादित आराजी मृतक रामलाल पिता भेरुलाल ब्राहम्ण के खातेदारी की होना निर्विवाद है। अपीलान्ट का कथन है कि उपखण्ड़ अधिकारी कपासन के न्यायालय में अपीलार्थीगण ने वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर रखा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन जारी होते हुए भी तहसीलदार कपासन ने रेस्पों. संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 13.06.2016 को नामान्तरकरण संख्या 845 निस्तारित कर दिया गया। अपील में प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 249/2006 विचाधीन है। इस प्रकार नामान्तरकरण की कि गई कार्यवाही कानूनन विधि सम्मत होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में हम पारित नामान्तरकरण संख्या 845 दिनांक 13.06.2016 को अपास्त किया जाकर वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि की उक्त नामान्तरकरण से पूर्व की स्थिति बहाल रखा जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार कपासन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 845 दिनांक 13.06.2016 अपास्त किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी कपासन में दर्ज वाद के अंतिम निर्णय अनुसार कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर